गुरदीप
~~सुरजीत सिंह~~ बनाम तहसीलदार

136 LRAct

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/8/25	वकील प्रार्थी उप०, प्रा०पत्र दर्ज रजि० किया जाकर, अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 22/8/25 को पेश हो।	
22/8/25	पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/9/25 को पेश हो।	
12/9/25	अभिभाषक संघ द्वारा कार्य का बहिष्कार रखा गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/9/25 को पेश हो।	
19/09/25	आज पत्रावली ग्रामीण सेवा शिविर कैम्प कोटि गुरुचरण सिंह खेरली में पेश हुई। तहसीलदार नगर से रिपोर्ट प्राप्त है। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली गुरदीप सिंह का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) **उपखण्ड अधिकारी** **नगर (डीग) राज०**	

ग्रामीण सेवा शिविर कैम्प कोर्ट– खेस्ती

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 09/2025 तारीख दायरा:–08.08.2025

गुरद्वीप सिंह पुत्र सुरजीतसिंह जाति रायसिक्ख निवासी अलघानी तहसील नगर जिला डीग।

––––प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील नगर जिला डीग।

––––अप्रार्थी

प्राथर्ना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता श्री प्रतापसिंह गुर्जर प्रार्थी।
2. पैरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक:–19.09.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 132/0.25, 134/0.26 बाके ग्राम अलघानी तहसील नगर मे स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थी के पिता की खातेदारी का रकबा था। प्रार्थी के पिता सुरजीत की मृत्यू हो जाने के बाद उनकी विरासत का दाखिल खारिज खोलते वक्त राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से प्रार्थी का नाम सतनाम सिंह दर्ज कर दिया है जो गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम गुरदीप सिंह पुत्र सुरजीतसिंह है। गांव मे सतनामसिंह पुत्र सुरजीतसिंह नाम का कोई व्यक्ति नही है, प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, पैन कार्ड, परिवार राशन कार्ड मे नाम गुरदीप सिंह पुत्र सुरजीतसिंह अंकित है। अत आराजी खसरा नम्बर 132/0.25, 134/0.26 बाके ग्राम अलघानी मे प्रार्थी का नाम सतनामसिंह पुत्र सुरजीतसिंह के स्थान पर गुरदीप सिंह पुत्र सरजीत सिंह शुद्व किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना के संबंध मे तहसीलदार नगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई, तहसीलदार नगर ने अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी का नाम आराजी खसरा नम्बर 132/0.25, 134/0.26 बाके ग्राम अलघानी तहसील नगर के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम सतनामसिंह पुत्र सुरजीतसिंह जरिये विरासत दर्ज हुआ है। मौके पर जांच मे आधार कार्ड व मार्कशीट तथा मौके पर उपस्थितों द्वारा प्रार्थी का सही नाम गुरदीप सिंह बताया गया है। प्रकरण मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर 132/0.25, 134/0.26 बाके ग्राम अलघानी तहसील नगर पर प्रार्थी का नाम सतनामसिंह पुत्र सुरजीतसिंह के स्थान पर गुरदीप सिंह पुत्र सरजीत सिंह शुद्व किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, पैन कार्ड, परिवार राशन कार्ड मे नाम गुरदीप सिंह पुत्र सुरजीतसिंह अंकित है। तथा सरपंच ग्राम पंचायत खेस्ती तथा तहसीलदार नगर ने भी अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट किया है कि ग्राम अलघानी मे सतनाम सिंह व गुरदीप सिंह नाम का एक ही व्यक्ति हैं। प्रार्थी के भाई गुरूचरन सिंह पुत्र सुरजीत सिंह ने भी अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मेरे भाई का सही नाम गुरदीप सिंह है। अत तहसीलदार नगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम अलघानी तहसील नगर के आराजी खसरा 132/0.25, 134/0.26 मे दर्ज प्रार्थी का नाम सतनामसिंह पुत्र सुरजीत के स्थान पर गुरदीप सिंह पुत्र सुरजीत सिंह शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर ग्रामीण सेवा शिविर कैम्प खेस्ती में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

19/9/25

(दुर्गा प्रसाद मीना) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०